नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। उक्त तथ्य अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन मे उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.12.1998 का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया, जिसको फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज बताया जा रहा है, उसे आदिनांक तक उक्त आम मुख्त्यारनामे को निरस्त करने की कार्यवाही नही की गई। उक्त आम मुख्त्यारनामा नोटिरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है। यदि बेचाननामा फर्जी व गलत है तो उसको सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिए था, जब तक बैचाननामा निरस्त नही करवा लिया जाता तब तक रजिस्टर्ड बेचननामे आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण मे हस्तक्षेप नही करना चाहिए। अपील एक सरसरी कार्यवाही होने से यह तय नही किया जा सकता कि कथित आम मुख्त्यारनामा फर्जी एवं कूटरचित है तथा ऐसे दस्तावेज के आधार पर किया गया बेचाननामा विधि मे शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.5.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर